न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर

पीठासीन अधिकारी–संजय शर्मा

G.C.M.S. No. 2026/3

अपील संख्या 5/2026 — तारीख रजू 01.01.2026

रघुवीर पुत्र प्रहलाद मीना निवासी ग्राम बडौद, तहसील खण्डार । ——— अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये नायब तहसीलदार खण्डार। ——— रेस्पोडेन्ट

उपस्थिति –

श्री अरविन्द कुमार मीना एडवोकेट – अपीलार्थी

पेरोकार राजस्व – रेस्पोडेन्ट

निर्णय — दिनांक 16.03.2026

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार खण्डार द्वारा मिसल संख्या 11/24 मे पारित आदेश दिनांक 23.12.2024 के विरूद्व प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम बडौद के आराजी खसरा नम्बर 570/1 रकबा 2.15 बीघा किस्म गे.मु.तलाई पर संवत 2081 मे जिंस चना काश्त कर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने का कर्ता मानकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने, शास्ति आरोपित करने के साथ साथ पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए दो माह (60 दिवस) के सिविल साधारण कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया हैं।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यो की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस मे कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं रूयेदाद मिसल होने से निरस्त होने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने जमीन की किस्म मौका रिपोर्ट एवं अन्य बिन्दुओं पर ध्यान नहीं देकर अपनी मनमर्जी से निर्णय पारित किया है। जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त होने योग्य है। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट जो प्रस्तुत की है वह टाईप शुदा परप्रोर्मा है जिसके बिना मौके अपनी मनमर्जी से तथ्य अंकित किये है। 91 एलआरएक्ट के नोटिस की विधिवत तामील नहीं हुई है। पटवारी हल्का बडौद द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत कि जिसमें आराजी ख0नं0 570/1 रकबा 2.15 बीघा किस्म गै0मु0तलाई पर जिन्स जोत करना बताया है जबकि अपीलार्थी द्वारा उक्त भूमि पर जोत काश्त नहीं की है। अधिनस्थ न्यायालय [illegible] निर्णय में [illegible] कर उक्त भूमि पर अतिक्रमण करना बताया है जबकि अपीलार्थी द्वारा उक्त भूमि पर [illegible] कर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने काश्तकारी अधिनियम [illegible] प्रावधानो के विपरीत जाकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:11:19 IST
Reason: SelfAttested

अति० जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

निर्णय किया है जो निरस्त करने योग्य है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय में विरोधाभास है। मौका पर अपीलार्थी का कोई कब्जा नहीं है। वकील अपीलान्ट द्वारा अपील के समर्थन में कब्जा हटा लेने का शपथ पत्र पेश किया। अन्त मे वकील अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.12.2024 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस मे कथन किया कि अपीलार्थी को विधिवत नोटिस जारी करने के पश्चात ही अपीलार्थी को सुनवाई सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिये जाने व पश्चातवर्ती अतिक्रमी साबित हो जाने के पश्चात ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिसमे किसी प्रकार की अनियमितता नही है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाकर अदालत मातहत का निर्णय यथावत रखा जावें।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय की पत्रावली एवं अपीलान्ट द्वारा पेश किये गये शपथ पत्र आदि का अवलोकन करने से यह प्रतीत होता है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरूद्व अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अपीलार्थी को धारा 91 का नोटिस जारी किया गया है जिस पर स्वयं अपीलान्ट की तामील हुई है। बाद तामील अपीलान्ट नियत दिनांक को अधीनस्थ न्यायालय में जानबूझ कर उपस्थित नहीं हुए। अतः अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का समुचित अवसर दिया गया है। जहां तक अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतिचारी होने का प्रश्न है इसकी पुष्टि भी पत्रावली पर उपलब्ध विधिक साक्ष्य यथा पटवार हल्का के लिये गये बयानों के आधार पर हो जाती है। अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमित की गयी भूमि के संबंध में अपने पक्ष में इस प्रकार का कोई सुदृढ अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया है, जिसके आधार पर विवादित भूमि पर अपीलान्ट का पूर्ववर्ती अतिक्रमण साबित नहीं होता हो। चूंकि, अपीलान्ट ने विवादित भूमि पर से कब्जा नहीं होने तथा भविष्य में अपीलान्ट अथवा अपीलान्ट के परिवार के कोई सदस्य द्वारा कब्जा काश्त नहीं करने के आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है, इसलिए अपील अपीलान्ट सजा की हद तक स्वीकार किया जाने योग्य पायी जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है जिसमे बेदखली, शास्ति का आदेश यथावत रखा जाता है तथा सिविल कारावास के बिन्दु पर प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि यदि अपीलान्ट अतिचारी अदालत मातहत के समक्ष इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत कर दे कि वर्तमान में विवादित भूमि पर उसका कब्जा काश्त नहीं है तथा उक्त शपथ–पत्र का अदालत मातहत द्वारा पटवारी हल्का से भौतिक सत्यापन कराने पर यदि अतिचारी का अतिक्रमण नहीं पाया जाता है तो अपीलान्ट को दी गयी सिविल कारावास के दण्ड को निरस्त समझा जावें। यदि भौतिक सत्यापन में अतिक्रमण पाया जाता है तो सिविल कारावास का दण्ड बहाल रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 16.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:11:19 IST
Reason: SelfAttested